राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रश्न पत्र के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश :–

1. आयोग द्वारा आनलाइन आवेदन के अंतर्गत अभ्यर्थियों से परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी का विकल्प लिया जाता है, किन्तु आयोग द्वारा आवेदन पत्र भरने के निर्देश में यह अंकित किया गया है कि **"यह विकल्प परीक्षा की प्रकृति, सम्बद्ध नियमों के प्रावधान तथा आयोग के विवेक के अनुरूप होगा। वस्तुपरक परीक्षाओं में प्रश्न–पत्र द्विभाषीय या एकभाषीय किसी भी रूप में हो सकता है।"**वस्तुतः पद की कार्यगत आवश्यकताओं तथा विषय की तकनीकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि प्रश्नपत्र द्विभाषीय होंगे या एकभाषीय। इसी के अनुरूप आंयोग द्वारा निअभियांत्रिकी और मेडिकल से सम्बन्धित उच्च स्तरीय परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही प्रश्न दिये जाते हैं और कतिपय सामान्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे कनिष्ठ लिपिक, अध्यापक आदि में केवल हिन्दी माध्यम में प्रश्न पत्र दिये जाते हैं। यह केवल विषय ही नहीं पद की अनिवार्यता को भी ध्यान में रखकर किया जाता है।

   इस प्रकार यह उल्लेखनीय है कि परीक्षा के माध्यम का चयन उसे आवश्यक रूप से उस माध्यम में प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु अनुमत नहीं करता, किन्तु सामान्यतया लिखित विवरणात्मक परीक्षाओं में आयोग द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने की अनुमति दी गई होती है, जिसके लिए प्रश्न–पत्र/प्रश्न–पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित दिशा–निर्देशों का समुचित अध्ययन कर लिया जाए।

2. आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यद्यपि प्रश्नों के सम्बन्ध काफी सावधानी बरती जाती है, किन्तु उसमें अपवादस्वरूप प्रश्न–निर्माण, अनुवाद या मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह सकती हैं। आयोग द्वारा परिणाम घोषणा से पूर्व विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रश्न पत्र पर उक्त बिन्दुओं पर राय ली जाती है और उन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाता है, जो तथ्यात्मक या अवधारणात्मक रूप में गलत या अस्पष्ट होते हैं। (सामान्यतया वर्तनी सम्बन्धी अल्प त्रुटियों वाले ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा कर दी जाती है, जिनमें प्रश्न का आशय और भावार्थ समझने में बाधक नहीं होता है)इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों से भी प्रश्न पत्र पर परीक्षा आयोजन के 3 दिवस के भीतर आपत्तियाँ माँगी जाती हैं, ताकि उन आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति अपनी राय प्रस्तुत कर सके। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा आयोजन के 3 दिवस के भीतर अपनी आपत्तियाँ स्वयं या डाक से आयोग को प्रेषित कर दें। **(ऐसी आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए सुलभ संदर्भार्थ प्रपत्र संलग्न है)**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

परीक्षा..वर्ष .... विषय..

नाम ....   रोल नम्बर ....

Question in Series				Objection Detail					Proof
A	B	C	D	Out of Syllabus	All options are Wrong	Question/ Translation is wrong/ vague	More than one Options are right	Other	